30.08.25

पत्रावली पेश उप०

आदेश 22 नियम 2 सपठित धारा 151 CPC के आवेदन में वादी अधिवक्ता ने बताया कि प्रतिवादी नं. 4 सुखदेव की मृत्यु हो गई है और उसकी माता प्रथम श्रेणी वारिस पूर्व से ही पक्षकार है।

जवाब में प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता का कथन रहा कि प्रतिवादी नं. 4 सुखदेव के हरि एवं गीता द्वितीय श्रेणी

[illegible signature]

विकास सिंह चौधरी
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
संख्या - 2, अजमेर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	पक्षकार है जिन्हें विधिक प्रतिनिधि के रूप में संयोजित किया जाना आवश्यक है। पत्रावली का तथ्य सम्बन्धित विधि का अवलोकन किया चूंकि मृतक की प्रथम श्रेणी की वारिस उसकी माता पूर्व से ही प्रतिवादी सं. 1 के रूप में संयोजित है तो द्वितीय श्रेणी वारिसान को संयोजित करने का विधिक औचित्य नहीं है लिहाजा प्रार्थना पत्र उपरोक्त निस्तारित किया जाकर मृतक प्रतिवादी सं. 4 के द्वारा नाम स्वाहील 'मृतक' अंकित किया जाने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली वास्ते वादी दिनांक 12.9.25 को पेश हो। Vikas 30.08.25 विकास सिंह चौधरी अ. जिला एवं सैशन न्यायाधीश संख्या – 2, अजमेर